

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 07
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 10/01/20

1 टीकमाराम पुत्र मुकनाराम जाति
जाट निवासी सोनड़ी, विशाला
आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।


1 गेमरसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत 2 चुनाराम
3 धीराराम 4 हीराराम पिसरान पूनमाराम जाति जाट
5 मुलगिरी 6 लुणगिरी 7 जुगतगर पिसरान
गोमगिरी 8 अजवगर पुत्र दुर्गगर जाति स्वामी
निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने
राजस्व आवेदन संख्या :- 395/2019

दिनांक- 10/01/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 291/210 रकबा 39.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच
सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 08 - 91

दिनांक- 10/01/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. टीकमाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गेमरसिंह पुत्र सगतसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर
तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

